

Form No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

Ap  
cri

अज अदालत : उपखण्ड अधिकारी

मुकाम : रावतभाटा

राज कुमार शर्मा

बनाम श.रा.परिये जिलाधीश मेटा.

किसम मुकदमा

वाट

नं०

15

सन् 2023

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इसमें जारी हुए
14 <sup>02</sup> 2024	<p>पत्रावली पेश हुई। उभय पक्षकारान् उपस्थित। पैरीकार सरकार ने जवाब हेतु अवसर चाहा जो दिया जाता है। पत्रावली वास्ते जवाब पैरीकार सरकार दिनांक 13/03/2024 को पेश हो।</p> <p>S.D.O</p>	
13 <sup>03</sup> 2024	<p>पत्रावली पेश हुई। उभय पक्षकारान् उपस्थित। बकील वादी द्वारा पत्रावली में Not-press कर निवेदन किया कि पत्रावली में कोई अग्रिम कार्यवाही नहीं चाहते हैं। पत्रावली का अवलोकन किया गया। उभय पक्ष को सुना गया। बकील वादी द्वारा पत्रावली में Not-press कर कोई अग्रिम कार्यवाही नहीं चाहने से पत्रावली को इसी स्तर पर विद्रो में खारिज किया जाता है। पत्रावली फौसल शुमार दीकर दर्ज रजिस्टर से कम की जाकर शामिल दफ्तर हो।</p>	<p>NOTE PRESS</p> <p><i>[Signature]</i></p>

उपखण्ड अधिकारी  
रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)

